



रील/का.एवंऔ.सं./2025-26/179/118

दिनांक/Date: 24.02.2026

कार्यालय परिपत्र / OFFICE CIRCULAR

विषय: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (POSH) पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) के पुनर्गठन के संबंध में।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से महिलाओं को विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार, यौन उत्पीड़न पर एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

1. श्रीमति विशाखा जैन : उप प्रबन्धक, सामग्री प्रबंधन विभाग
2. श्रीमति वंदना मीना : उप प्रबन्धक, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3. श्री बलवीर सिंह राजपूत : अधिकारी, कार्मिक एवं औद्योगिक संबंध विभाग
4. श्री संदीप शर्मा : कनिष्ठ कार्यालय अधीक्षक, वित्त एवं लेखा विभाग एवं प्रतिनिधि - रील श्रमिक संघ (सीटू)
5. श्रीमति श्वेता जैन पाटिल : तकनीकी सहायक, प्रबंध निदेशक कार्यालय
6. प्रो. लाड कुमारी जैन : पूर्व अध्यक्ष राजस्थान राज्य महिला आयोग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय महिला संघ, जयपुर

कोई भी पीड़ित महिला कर्मचारी अपनी शिकायत, इस उद्देश्य के लिए गठित आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) को भेज सकती है, और मामले की विस्तृत जांच के बाद, आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) मामले में आगे की आवश्यक कार्यवाही के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

उक्त आदेश दिनांक 24.02.2026 से प्रभावी होगा।

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पश्चात जारी।

A-ⁿ
24/02/2026

अति. महाप्रबंधक (का.एवं औ.सं.)

उपरोक्तानुसार सभी समिति सदस्यगण

समस्त सूचना पट्ट

प्रतिलिपि:

1. प्रबन्ध निदेशक कार्यालय
2. मुख्य सतर्कता अधिकारी
3. महाप्रबंधक (नवीन परियोजना) / महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा) सह मुख्य वित्तीय अधिकारी
4. अति. महाप्रबंधक (का.एवंऔ.सं.) / अति. महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स) / अति. महाप्रबंधक (पीएमसी) / अति. महाप्रबंधक (अनुसंधान एवं विकास) / अति. महाप्रबंधक (अक्षय ऊर्जा) / अति. महाप्रबंधक (उत्पादन) / अति. महाप्रबंधक (सामग्री प्रबंधन) / अति. महाप्रबंधक (गुणवत्ता आश्वासन एवं अभियांत्रिकी)
5. उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) / उप महाप्रबंधक (प्र.नि.का.) सह टी.एस.ओ.टू.एम.डी. / उप महाप्रबंधक (नवीन परियोजना) / उप महाप्रबंधक (इलेक्ट्रॉनिक्स) एवं क्षेत्रीय अधिकारी (राजस्थान एवं सी.आर.-ओपाल) / उप महाप्रबंधक एवं क्षेत्रीय अधिकारी (लखनऊ)
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक (ई.आर.-पटना) / क्षेत्रीय प्रबन्धक (गुजरात एवं महाराष्ट्र-आनंद) / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
7. कम्पनी सचिव सह उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) / क्षेत्रीय उप प्रबंधक (एन.आर.-चंडीगढ़)
8. कनिष्ठ अभियंता सह क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलोर
9. पी. आई. ओ.
10. रील श्रमिक संघ